फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	28/2/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी अधि. अनुपस्थित। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गयी। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Reader
2/16

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जय
द्वितीय जयपुर

प्रार्थना पत्र सख्या ..../2018

जगदीश पुत्र छीतर जाति जाट निवासी – ग्राम रामनगरिया
सांगानेर जिला जयपुर

बनाम

1. गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण लाल चौधरी जाति जाट निवासी
महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. थाना अधिकारी पुलिस थाना प्रताप नगर जयपुर पूर्व
3. तहसीलदार तहसील सांगानेर
पता – तहसील कार्यालय सांगानेर जयपुर

3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 राजस्

भू–राजस्व अधिनियम 1956

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत

1. यह कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 116 रक हैक्टयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.01 हैक्टयर ग्राम र पटवार हल्का जयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे सि वादग्रस्त है, वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा तारवन्दी एवं जाली लगा रखी है इस प्रकार प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर का है वादग्रस्त भूमि के पडौस मे खसरा नम्बर 116/373 जिसकी खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर

2. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के पुत्र रामू जाट को 06.2018 को पत्र देकर सूचित किया कि अप्रार्थी संख्या 3 सांगानेर ने खसरा नम्बर 116/373 के पत्थरगढी करवाने दिये है, दिनांक 21.06.2018 को पत्थरगढी की जावेगी घडी की कार्यवाही के दोरान आप मौके पर उपस्थित रहे